व्हीसल ब्लोअर नीति

पृष्ठभूमि

बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों; सूचीबद्ध संस्था एवं शेयर बाजार के बीच सूचीयन संबंधी करार के खंड 49 के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 17.04.2014 के दिशानिर्देशों; एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 35(क) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी यथास्थिति दिनांक 01.07.2016 के दिशानिर्देशों / निदेशों आदि जो विनिर्दिष्ट तौर पर किसी संगठन के कर्मचारियों के लिये उस संगठन के प्राधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय में कोई अनुचित व्यवहार के आरोपों की रिपोर्ट करने हेतु "व्हीसल ब्लोअर तंत्र" की व्यवस्था प्रदान करते हैं, द्वारा अधिशासित होते हैं। इन अधिनियमों एवं दिशानिर्देशों से यह पाया गया कि बैंक के पास सुपरिभाषित "व्हीसल ब्लोअर नीति" होनी चाहिये। यद्यपि, बैंक के पास अभी तक की योजना के संबंध में समुचित शिकायत प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है जिसके द्वारा कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय में कोई अनुचित व्यवहार के आरोप के मुद्दे उठा सकता है जो तैयार/कार्यान्वयित किये जाने हैं। तदनुसार कॉरपोरेट अभिशासन के दृष्टि से, व्हीसल ब्लोअर नीति का गठन उचित कदम होगा।

प्रस्तावना

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, बैंक व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने मामलों को संचालित करने में विश्वास रखता है। बैंक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ पर यह उन सभी के लिए सुरक्षित वातावरण हो, जो किसी भी स्तर पर किसी भी अस्वीकार्य/अनैतिक प्रथा या कदाचार के बारे में आशंका का संकेत देता है।

इस तरह, यदि शिकायतकर्ता बैंक के किसी भी विभागों/कार्यालय/शाखाओं में कोई अन्य गलत आचरण या अनैतिक और अनुचित व्यवहार को देखता है तो वह इस नीति के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसे बैंक में "व्हीसल ब्लोअर नीति" के तौर पर जाना जाएगा।

कंपनी अधिनियम एवं सेबी के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत, व्हीसल ब्लोअर शिकायतें लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जायेंगी जिसका सीधा एक्सेस व्हीसल ब्लोअर द्वारा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं दिनांक 01.07.2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) व्हीसल ब्लोअर से सीधे शिकायत प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत नहीं है (बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी)।

परिचालन का तौर-तरीका :

शिकायतकर्ता निम्नलिखित पते पर "व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत" के रूप में चिह्नित बंद/ संरक्षित लिफाफे में अध्यक्ष, एसीबी (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति) को शिकायत दर्ज करेगा:

अध्यक्ष,
एसीबी (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति),
राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5-ए, पांचवा तल,
भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003

व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत अध्यक्ष, एसीबी को प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। शिकायतकर्ता को "व्हीसल ब्लोअर" के रूप में जाना जाएगा और नीति को "व्हीसल ब्लोअर नीति" के रूप में जाना जाएगा। सामान्य तौर पर व्हीसल ब्लोअर की गोपनीयता अनुरक्षित रखी जाएगी।

व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया:

व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत की जाने वाली किसी भी शिकायत हेतु निम्नलिखित पहलुओं की अनुपालना करनी चाहिए:-

i) इस योजना के तहत गुमानाम/छद्मनामी शिकायतों/रिपोर्टों को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii) अध्यक्ष, एसीबी (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति) को बंद लिफाफे के माध्यम से संरक्षित तरीके से शिकायत/रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है लिफाफे को अधिकारियों को संबोधित किया जाना चाहिए और उसके ऊपर "व्हीसल ब्लोअर नीति के तहत शिकायत" लिखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को केवल अपना नाम और पता या तो शिकायत की विषयवस्तु की शुरुआत में या उसके अंत में देना चाहिए।

iv) यदि शिकायतकर्ता चाहता है कि उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाए, तो शिकायत की विषयवस्तु को सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसका/उसकी पहचान के अनुसार कोई विवरण या संकेत न प्रकट हो। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन- योग्य होना चाहिए।

v) यदि लिफाफे के ऊपर कुछ लिखा न हो और वह बंद हो तो, बैंक के लिए शिकायतकर्ता की पहचान को आवृत्त करना संभव नहीं होगा, यद्यपि उसकी सुरक्षा उपरोक्त नीति के तहत है। ऐसी शिकायतों को बैंक की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा।

अन्य पहलू:

i) शिकायतकर्ता की पहचान को आवृत्त करने के लिए (व्हीसल ब्लोअर), बैंक कोई पावती जारी नहीं करेगा और व्हीसल ब्लोअर को यह भी सलाह दी जाएगी कि यदि वह अनुस्मारक भेजना चाहता है, तो उसे पत्राचार की उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।

ii) व्हीसल ब्लोअर नीति आम जनता के लिये नहीं बल्कि बैंक के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये ही उपलब्ध है।

iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत, व्हीसल ब्लोअर शिकायतों की संवीक्षा एफएमजी (धोखाधड़ी निगरानी समूह) द्वारा की जाती है। चूंकि, हमारे बैंक में धोखाधड़ी निगरानी समूह नहीं है, इसलिए सर्व लेखापरीक्षा विभाग (एएडी) द्वारा संवीक्षा की जायेगी। सर्व लेखापरीक्षा विभाग द्वारा गोपनीयता अनुरक्षित रखने के लिए "व्हीसल ब्लोअर नीति" के तहत प्राप्त सभी शिकायतों की संवीक्षा की जाएगी और निर्णय के लिए उक्त को सर्व लेखापरीक्षा विभाग द्वारा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

iv) इस नीति के तहत अपने विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिशोध में किसी कर्मचारी /अधिकारी (व्हीसल ब्लोअर) के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई या सिफारिश नहीं की जाएगी। हालांकि, उसे अपने कदाचार के लिए संरक्षित नहीं किया जाएगा, जो कि व्हीसल ब्लोअर के रूप में किए गए प्रकटीकरण से संबंधित नहीं है।

v) एक कर्मचारी जो जानबूझकर अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण के झूठे आरोप लगाता है, वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा और उसे नीति के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा।

---------- xx ---------- xx ----------